भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1262**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव**

**1262. श्री डी॰ राजाः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी॰एम॰एम॰वी॰वाई॰) प्रसूति लाभ कार्यक्रम, करीब आधी गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी नहीं पाई गई है क्योंकि यह योजना केवल पहले जन्म के लिए ही लागू होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के मानदंड की पात्रता में बदलाव लाने और इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम (एन॰एफ॰एस॰ए॰) के अनुरूप बनाने में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

**उत्‍तर**

 डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01.01.2017 से प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) क्रियान्‍वित कर रहा है । इस योजना के अंतर्गत परिवार के पहले जीवित बच्‍चे के लिए पात्र लाभार्थियों को प्रसूति लाभ उपलब्‍ध हैं । लगभग 51.70 लाख लाभार्थी हर वर्ष इसमें शामिल होते हैं ।

(ख) : प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्‍त करने का पात्रता मापदंड इस प्रकार है :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **नकद हस्‍तांतरण** | **शर्तें** | **राशि (रुपये में)** |
| पहली किस्‍त  | * गर्भधारण शीघ्र पंजीकरण
 | 1,000/- |
| दूसरी किस्‍त | * कम से कम प्रसव-पूर्व एक जांच कराई हो (6 माह के गर्भधारण के पश्‍चात)।
 | 2,000/- |
| तीसरी किस्‍त | * शिशु के जन्‍म का पंजीकरण हो
* बच्‍चे ने बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी तथा हैपेटाइटिस-बी का अथवा इसके समकक्ष/ विकल्‍प के रूप में प्रथम चक्र पूरा किया हो ।
 | 2,000/- |

 उपर्युक्‍त मापदंड में परिवर्तन करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है । राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में केंद्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित किस्‍तों में कम से 6,000/-रुपये के प्रसूति लाभ का प्रावधान है । प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पात्र गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को गर्भावस्‍था और स्‍तनपान की अवधि के दौरान तीन किस्‍तों में 5,000/-रुपये के प्रसूति लाभ दिए जाते हैं । पात्र लाभार्थी को संस्‍थागत प्रसव के पश्‍चात जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति लाभ के रूप में अनुमोदित मानकों के अनुसार शेष नकद राशि भी मिलती है, जिससे कि औसतन महिला को 6,000/-रुपये मिल जाते हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*